भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *133
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्डों का रद्दीकरण

***133. श्री के. सी. वेणुगोपाल:**
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2025 और जून, 2026 के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2021 से रद्द किए गए जॉब कार्डों और सूची से निष्कासित किए गए कामगारों का राज्य, संघराज्य क्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस रद्दीकरण/सूची से निष्कासन के लिए मुख्य रूप से क्या विशिष्ट तकनीकी या प्रशासनिक कारण दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी - जी-राम-जी) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 60 दिनों तक के लिए मजदूरी-रोजगार कार्यों के निलंबन से उत्पन्न ग्रामीण परिवारों की वार्षिक मजदूरी आय में कमी के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अपेक्षित आय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कि वास्तविक लाभार्थियों को डिजिटल अनुपालन या प्रमाणीकरण संबंधी मुद्दों के कारण बहिर्वेशन का सामना नहीं करना पड़े; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) द्वारा सहायता प्राप्त कृषि और संबद्ध कार्यों को बंद किए गए अथवा अनुज्ञेय कार्य सूची से हटाए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जून, 2025 से जून, 2026 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, छत्तीसगढ़ सहित, **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो जॉब कार्ड जारी करने, उनके सत्यापन, अद्यतनीकरण एवं हटाने के लिए उत्तरदायी हैं। देश भर में एक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं एकसमान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी, जिसमें किसी भी जॉब कार्ड या श्रमिक अभिलेख को हटाने से पहले अनुसरण की जाने वाली नियत प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया गया है। कोई भी विलोपन, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक सत्यापन के पश्चात ही किया जा सकता है। 1 जनवरी 2021 से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 (22.07.2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रद्द किए गए जॉब कार्डों की संख्या तथा हटाए गए जॉब कार्डों में शामिल श्रमिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इसी अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 (22.07.2026 तक), महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कुल 5.00 करोड़ परिवारों एवं 8.30 करोड़ श्रमिकों को शामिल किया गया है।

(ग): विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 6 अधिसूचित बुवाई एवं कटाई के व्यस्ततम मौसमों के दौरान कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन में विराम का प्रावधान करती है। यह प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने तथा कृषि कार्यों को सहायता देने के लिए लाया गया है, जो ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से की आजीविका का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों को स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों एवं कृषि कैलेंडर के आधार पर ऐसी अवधि अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि समयबद्ध कृषि कार्यों हेतु श्रम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिनियम के अंतर्गत 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की सांविधिक गारंटी अपरिवर्तित बनी हुई है, तथा ग्रामीण परिवार अधिनियम के मांग-आधारित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान गारंटीशुदा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान केवल कार्यों के समय-निर्धारण एवं क्रम से संबंधित है और अधिनियम के अंतर्गत रोजगार अधिकारों में कोई कमी नहीं करता है।

(घ): विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन ढांचे को पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कुशल सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है, साथ ही श्रमिकों के डेटा की सुरक्षा हेतु उपयुक्त कानूनी, प्रशासनिक एवं तकनीकी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक लाभार्थी डिजिटल अनुपालन या प्रमाणीकरण संबंधी समस्याओं के कारण वंचित न हों, परिचालन ढांचे में सुदृढ़ अपवाद-प्रबंधन तंत्र का प्रावधान किया गया है। वास्तविक मामलों में उपयुक्त वैकल्पिक प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जिनमें खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी खराबी, उपकरण संबंधी समस्याओं अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले मामले शामिल हैं, ताकि इच्छुक श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार एवं संबंधित लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत किसी भी कृषि अथवा संबद्ध कार्य को बंद अथवा अनुमत कार्यों की सूची से हटाया नहीं गया है। 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के साथ, नए अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप अनुमत कार्यों की सूची का व्यापक रूप से संशोधन एवं विस्तार किया गया है। संशोधित ढांचा जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना तथा अत्यधिक मौसमी घटनाओं की रोकथाम पर अधिक बल देता है, साथ ही एक विस्तृत एवं समेकित अनुमत कार्यों की सूची के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों को सहायता देना जारी रखता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जून, 2025 से जून, 2026 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, छत्तीसगढ़ सहित, ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	
		2025-26	2026-27
1	अंडमान और निकोबार	2483	1696
2	आंध्र प्रदेश	4716063	4221178
3	अरुणाचल प्रदेश	342529	95969
4	असम	1719592	1128071
5	बिहार	4853076	3662830
6	छत्तीसगढ़	2458225	1967253
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4593	3942
8	गोवा	2055	974
9	गुजरात	612295	384910
10	हरियाणा	304036	53926
11	हिमाचल प्रदेश	511189	114658
12	जम्मू और कश्मीर	772149	205039
13	झारखंड	2344645	767985
14	कर्नाटक	2040109	1158712
15	केरल	1252276	814400
16	लद्दाख	33475	15167
17	लक्षद्वीप		5
18	मध्य प्रदेश	4105797	1574555
19	महाराष्ट्र	3562236	1810075
20	मणिपुर	544265	448788
21	मेघालय	505755	207881
22	मिजोरम	216101	208902
23	नागालैंड	286636	138208
24	ओडिशा	2575357	903059

25	पुडुचेरी	47700	24457
26	पंजाब	646201	302196
27	राजस्थान	4565574	3113132
28	सिक्किम	55635	3566
29	तमिलनाडु	5874658	3455887
30	तेलंगाना	2016432	2442742
31	त्रिपुरा	589152	504010
32	उत्तर प्रदेश	5378482	1625846
33	उत्तराखंड	389517	103603
34	पश्चिम बंगाल	3	13720
	कुल	5,33,28,291	3,14,77,342

लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रद्द किए गए जॉब कार्डों की संख्या						कुल योग
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	अंडमान और निकोबार	464	37	135	330	539	396	1901
2	आंध्र प्रदेश	110254	702856	2692922	202941	736913	28141	4474027
3	अरुणाचल प्रदेश	9460	8398	14450	13557	11758	4735	62358
4	असम	71556	174286	259381	552030	92615	145237	1295105
5	बिहार	1506995	4355680	2975277	1803457	200539	578942	11420890
6	छत्तीसगढ़	168500	158058	357730	401379	165532	233707	1484906
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव			2	11	12		25
8	गोवा	11	13	30	55	12	4	125
9	गुजरात	52655	130808	364903	74152	35242	153188	810948
10	हरियाणा	11936	12234	7026	7829	4191	18358	61574
11	हिमाचल प्रदेश	10768	16810	16822	5527	24488	34711	109126
12	जम्मू और कश्मीर	60659	28696	52478	63650	118700	83227	407410
13	झारखंड	209927	560061	775582	192565	57250	252262	2047647
14	कर्नाटक	33770	125942	196372	26538	120962	1177174	1680758
15	केरल	25468	51740	174164	199304	32952	5889	489517
16	लद्दाख	975	1167	1150	545	830	1480	6147
17	लक्षद्वीप	6	8	29	37	111	1	192
18	मध्य प्रदेश	1196818	287916	701156	179684	34435	310722	2710731
19	महाराष्ट्र	30107	53840	54521	22144	72683	148518	381813
20	मणिपुर	5985	2599	5745	7351	3116	12119	36915
21	मेघालय	6821	3797	14213	14180	3442	948	43401
22	मिजोरम	11957	4466	4953	9758	19125	13207	63466
23	नागालैंड	1052	3250	2796	8515	33916	23500	73029
24	ओडिशा	680594	1194762	1887015	354181	149642	526893	4793087
25	पुडुचेरी	227	2453	2574	463	367	1576	7660
26	पंजाब	56827	221293	199426	21981	51497	253894	804918

27	राजस्थान	137456	306512	655687	156202	58388	329419	1643664
28	सिक्किम	1350	1433	2202	2116	1499	6161	14761
29	तमिलनाडु	166552	168258	606832	838966	81414	424121	2286143
30	तेलंगाना	13111	139085	432828	109470	121072	17727	833293
31	त्रिपुरा	5802	5192	16680	8853	15070	19112	70709
32	उत्तर प्रदेश	1210002	3887312	4806792	147079	74574	738800	10864559
33	उत्तराखंड	27940	114100	79736	46868	43336	113626	425606
34	पश्चिम बंगाल	16996	270106	2091078	8568	1764	229490	2618002
	कुल	5843001	12993168	19452687	5480286	2367986	5887285	52024413

1 जनवरी 2021 से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 (22.07.2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रद्द किए गए जॉब कार्डों में शामिल श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं वर्षवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रद्द किए गए श्रमिकों की संख्या						कुल योग
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	अंडमान और निकोबार	464	37	135	330	539	396	1901
2	आंध्र प्रदेश	441138	2026754	6678263	580400	1848755	95868	11671178
3	अरुणाचल प्रदेश	33205	29578	62988	53417	43608	15160	237956
4	असम	285265	667370	702306	1714944	336746	399765	4106396
5	बिहार	2280557	6680185	4472109	2823377	284491	787934	17328653
6	छत्तीसगढ़	589548	714084	1618613	1573608	634652	935621	6066126
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव			121	181	201	80	583
8	गोवा	24	16	34	78	16	6	174
9	गुजरात	197540	490349	1028657	249566	122635	476809	2565556
10	हरियाणा	22525	19307	15666	20090	16031	51042	144661
11	हिमाचल प्रदेश	46251	73112	76658	33879	95566	126980	452446
12	जम्मू और कश्मीर	165544	81039	144184	189805	289816	229871	1100259
13	झारखंड	445025	1086773	1689406	377830	122807	411160	4133001
14	कर्नाटक	199713	496583	910210	226677	813882	3991094	6638159
15	केरल	65984	160817	468284	484768	92258	15404	1287515
16	लद्दाख	2720	5720	4248	2517	3638	5313	24156
17	लक्षद्वीप	10	19	88	122	405	3	647
18	मध्य प्रदेश	4752899	1154825	2607403	781119	172276	1226223	10694745
19	महाराष्ट्र	251024	313148	328275	151005	382822	630822	2057096
20	मणिपुर	44969	80903	113860	113215	56418	72601	481966
21	मेघालय	23230	19459	111848	81801	20657	5710	262705

22	मिजोरम	26423	10747	14163	27656	47984	36175	163148
23	नागालैंड	4016	13050	13180	73920	246886	71004	422056
24	ओडिशा	2086641	3680990	5764789	1300435	457918	1477562	14768335
25	पुडुचेरी	1518	23879	27747	2205	1040	3362	59751
26	पंजाब	104831	370925	355225	45075	94144	435627	1405827
27	राजस्थान	815214	1564983	3071371	948226	319962	1110566	7830322
28	सिक्किम	4392	4521	8512	8548	6312	17471	49756
29	तमिलनाडु	441804	436932	1560278	2150608	211089	903738	5704449
30	तेलंगाना	58244	474901	1441792	431798	539444	78370	3024549
31	त्रिपुरा	28222	31682	92800	42512	79903	77170	352289
32	उत्तर प्रदेश	2027871	6400127	7937280	255864	138504	1252519	18012165
33	उत्तराखंड	63287	267799	173441	163584	115392	284297	1067800
34	पश्चिम बंगाल	107188	1160743	7810027	34724	8322	914954	10035958
	कुल	15617286	28541357	49303961	14943884	7605119	16140677	132152284
